[2020]6 S.C.R. 564

फिकस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य

याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

प्रतिवादी

WP(C)....डायरी नंबर.10993/2020

दिनांक: JUNE 12,2020

(अशोक भूषण , संजय किशन कॉल एवं ऍम. आर शाह जे.जे

आदेश

1. एक (यानी डब्ल्यूपी (सिविल) डायरी नंबर 10981/2020) को छोड़कर ये सभी रिट याचिकाएं विभिन्न नियोक्ताओं, नियोक्ता संघों द्वारा दायर की गई हैं, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 के तहत जारी किए गए आदेशों और विभिन्न राज्यों द्वारा जारी किए गए अन्य परिणामी आदेशों पर सवाल उठा रही हैं । निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी नियोक्ता चाहे वे उद्योगों में हों या दुकानों में, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में, अपने श्रमिकों के वेतन का भुगतान उनके कार्य स्थल पर, नियत तिथि पर, बिना किसी कटौती के, उस अवधि के लिए करेंगे, जब तक कि उनके प्रतिष्ठान लॉकडाउन के दौरान बंद है।

2. रिट याचिकाओं में सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी डीओ दिनांक 20.03.2020 को चुनौती देने के अलावा, शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.03.2020 को चुनौती दी गई है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2)(एल) के तहत , आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2)(एल) की वैधता पर भी सवाल उठाया गया है, घटना में, धारा 10(2)(एल) इसकी व्याख्या केंद्र सरकार को निजी नियोक्ताओं को लॉकडाउन की अवधि के दौरान कर्मचारियों को वेतन का पूरा भुगतान करने का निर्देश देने की शक्ति प्रदान करने के रूप में की जा रही है। कुछ रिट याचिकाओं में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम या पीएम केयर्स फंड या किसी अन्य सरकारी फंड/योजनाओं के माध्यम से एकत्रित धन का उपयोग करके लॉकडाउन अवधि के लिए वेतन का 70 से 80 प्रतिशत सब्सिडी देने के निर्देश भी मांगे गए हैं। विभिन्न रिट याचिकाओं में राहत की प्रकृति को समझने के लिए, कुछ रिट याचिकाओं में दावा की गई राहतों का उल्लेख करना पर्याप्त होगा क्योंकि अन्य रिट याचिकाओं में दावा की गई राहतें कमोबेश समान हैं। डब्ल्यूपी (सिविल) डी.नं.10983/2020, फिकस पैक्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में, भारत संघ ने

एक सामान्य जवाबी हलफनामा दायर किया था और प्रार्थना की थी कि जवाबी हलफनामे को संदर्भित अन्य रिट याचिकाओं में अपनाया जाए। जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 4 में। WP(सिविल) डायरी नंबर 10983/2020 को प्रमुख रिट याचिका के रूप में माना जा रहा है। प्रमुख रिट याचिका में विभिन्न हस्तक्षेप आवेदन भी दायर किए गए हैं। प्रमुख रिट याचिका में दायर हस्तक्षेप आवेदनों को अनुमति दी जाती है।

3. 2020 की WP(C) डायरी संख्या 10983 में याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी है और सात राज्यों में फैली ग्यारह फैक्ट्रियों के साथ पैकेजिंग के व्यवसाय में लगी हुई है। याचिकाकर्ता सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम , 2006 के तहत मध्यम उद्योग (विनिर्माण) के रूप में पंजीकृत है। याचिकाकर्ता कंपनी ने लॉकडाउन से पहले अपने सभी कारखानों, गोदामों और कार्यालयों में 176 स्थायी श्रमिकों और 939 अनुबंध श्रमिकों को रोजगार दिया था। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि लॉकडाउन अवधि के बाद हालांकि याचिकाकर्ता को फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य उत्पादों जैसी कई आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला में काम करने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसका कारोबार लगभग 5-6 प्रतिशत के स्तर तक कम हो गया है। याचिकाकर्ता ने आदेश दिनांक 29.03.2020 और डीओ दिनांक 20.03.2020 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 , अनुच्छेद 19(1)(जी) का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है।

4. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि अधिसूचनाएं मनमानी, अवैध, तर्कहीन और अनुचित हैं और अनुच्छेद 14 , अनुच्छेद 19(1)(जी) सहित कानून के प्रावधानों के विपरीत हैं। अधिसूचनाएं अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत याचिकाकर्ता नियोक्ताओं के अधिकारों में अनुचित और मनमाना हस्तक्षेप हैं । अधिसूचनाएं समान कार्य समान वेतन और नो वर्क नो पे के सिद्धांतों के भी विपरीत हैं, क्योंकि यह उन श्रमिकों के बीच अंतर नहीं करती है जो प्रतिष्ठान में लॉकडाउन अवधि के दौरान काम कर रहे हैं जैसे कि याचिकाकर्ता जिन्हें लॉकडाउन अवधि के दौरान काम करने की अनुमति दी गई है और वे कर्मचारी जिन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया था।

5. गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, निजी क्षेत्र पर वेतन भुगतान जैसे वित्तीय दायित्व थोपने के लिए धारा 10(2)(एल) या आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 के किसी अन्य प्रावधान को लागू नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार के पास आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास, आपदाओं के शमन के लिए धन आवंटित करने की शक्ति है । श्रमिकों के प्रति किसी भी मुआवजे का अंतिम दायित्व अंततः सरकार का होगा और उक्त दायित्व को निजी प्रतिष्ठान में नियोक्ताओं पर नहीं डाला जा सकता है। लागू की गई अधिसूचनाएं औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 के तहत वैधानिक प्रावधानों को पूरी तरह से नकारने का प्रभाव रखती हैं। प्रतिवादी को नियोक्ताओं को लॉकडाउन अवधि के लिए वेतन का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)

द्वारा एकत्र किए गए धन का उपयोग करना चाहिए। श्रमिकों को समय-समय पर भुगतान करें। रिट याचिका में निम्नलिखित प्रार्थना की गई है:-

<u>"प्रार्थना</u>

"प्रार्थना इसलिए, अत्यंत आदरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय इस पर कृपा करें: -

i) एक घोषणा या सर्टिओरारी या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जो डीओ नंबर एम- की घोषणा करता है। 11011/08/2020- मीडिया दिनांक 20.03.2020 सचिव द्वारा जारी(श्रम एवं रोजगार) एवं व्यवस्था क्रमांक 40-3/2020-डीएम-I(ए) दिनांक 29.03.2020 होम द्वारा पारित सचिव, गृह मंत्रालय मामले अधिकारातीत अनुच्छेद हैं संविधान के 14, 19(1)(जी).भारत की; और/या

ii) mandamus या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिससे उत्तरदाताओं को एकत्र किए गए धन का उपयोग करके लॉकडाउन अवधि के लिए श्रमिकों की मजदूरी को 70-80% तक सब्सिडी देने का निर्देश दिया जा सके। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) या पीएम केयर्स फंड या किसी अन्य सरकारी फंड/योजना के माध्यम से, और/या

iii) ऐसे अन्य आदेश या आदेश पारित करें जो पूर्ण न्याय के हित में उचित और उचित और उचित और आवश्यक समझे जाएं।

और इस माननीय न्यायालय की दयालुता के कार्य के लिए, कर्तव्यनिष्ठ याचिकाकर्ता को सदैव प्रार्थना करनी होगी।"

6. 2020 के WP (सिविल) नंबर 484 में की गई प्रार्थना, B4S सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य पर भी ध्यान देने की जरूरत है। याचिकाकर्ता नंबर 1 कंपनी अधिनियम , 1956 के तहत निगमित कंपनी है। कंपनी की कई सहायक/सहयोगी कंपनियां हैं। दिनांक 29.03.2020 के सरकारी आदेश को चुनौती देने के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी परिणामी आदेश दिनांक 31.03.2020, पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.03.2020, राज्य द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.03.2020 को भी चुनौती दी है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेश दिनांक 05.04.2020 जारी किया गया। एक प्रार्थना में, याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि याचिकाकर्ताओं को रिट याचिका के अंतिम निपटान तक अपने कर्मचारियों को मूल वेतन प्लस डीए का 50 प्रतिशत भुगतान करने की अनुमति दी जाए। रिट याचिका में निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की गई हैं: -

"प्रार्थना मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इसलिए, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय विनम्रतापूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक प्रसन्न हो:-

ए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 29 मार्च, 2020 के सरकारी आदेश के खंड III को असंवैधानिक होने के कारण रद्द करने के लिए mandamus या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन ।

बी महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश दिनांक 31.03.2020, सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश/परामर्श दिनांक 28.03.2020 को रद्द करने के लिए mandamus रिट या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें। पंजाब सरकार, हरियाणा राज्य द्वारा जारी सरकारी आदेश दिनांक 29.03.2020 , उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश दिनांक 05.04.2020 केवल याचिकाकर्ता और उसकी सहायक कंपनियों को अपने सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के लिए बाध्य करने की सीमित सीमा तक, असंवैधानिक होने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करने के लिए लॉकडाउन की अवधि के दौरान श्रमिकों, अनुबंध श्रमिकों, आकस्मिक श्रमिकों।

सी वर्तमान याचिका के अंतिम निपटान तक याचिकाकर्ताओं को अपने श्रमिकों/कर्मचारियों को मूल वेतन प्लस डीए का 50% (पीएफ और ईएसआईसी योगदान के भुगतान के बिना क्योंकि यह मजदूरी नहीं है) का भुगतान करने की अनुमति दें;

डी भविष्य निधि और ईएसआई माफ करें क्योंकि लॉकडाउन की इस अवधि के दौरान श्रमिकों द्वारा कोई काम नहीं किया गया है और याचिकाकर्ताओं द्वारा मार्च और अप्रैल, 2020 के महीने के लिए जमा किया गया योगदान वापस किया जा सकता है;

इ कोई भी आदेश या निर्देश पारित करें जो माननीय न्यायालय वर्तमान याचिका के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।"

7. 2020 का WP (सिविल) D.No.10981, आदित्य गिरी बनाम भारत संघ और अन्य, एक व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका के रूप में दायर की गई एक याचिका है, जो उन कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हितों का समर्थन करती है, जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और जो लॉकडाउन के कारण दिवालिया होने की कगार पर हैं। रिट याचिका में की गई प्रार्थनाओं में प्रतिवादी को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ-साथ उन नियोक्ताओं की समस्याओं को कम करने के लिए नीति बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है जो

आर्थिक रूप से कर्मचारियों को बनाए रखने की स्थिति में नहीं हैं। रिट याचिका में निम्नलिखित प्रार्थनाएं की गई हैं:-

प्रार्थना

"प्रार्थना मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इसलिए, सबसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय इस पर कृपा करें: -

ए) कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की अचानक छंटनी की समस्याओं को कम करने के लिए एक नीति/उपाय तैयार करने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 को निर्देश देने के लिए mandamus की प्रकृति में एक रिट जारी करें।

बी) उत्तरदाताओं को ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए निर्देशित करें जहां नियोक्ता आर्थिक रूप से कर्मचारियों को बनाए रखने की स्थिति में नहीं है, उत्तरदाताओं को उन कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए कहा जाए जो अपने परिवार का भरण-पोषण करने और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं।

न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार कोई भी आदेश या निर्देश पारित करें जो माननीय न्यायालय उचित और उचित समझे।

और दयालुता के इस कार्य के लिए, याचिकाकर्ता को कर्तव्य की तरह सदैव प्रार्थना करनी होगी।"

8. एक और रिट याचिका में की गई प्रार्थनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है यानी 2020 का WP (सिविल) D.No.11180, चैंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। गृह सचिव, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.03.2020 और महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 31.03.2020 को चुनौती देने के अलावा, रिट याचिका में प्रार्थना के रूप में की गई प्रार्थनाओं में से एक निम्नलिखित प्रभाव वाला है:-

"एमएसएमई के हित और श्रमिकों और कर्मचारियों के हित के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रतिवादी को उचित निर्देश पारित करने के लिए परमादेश की एक रिट जारी करें ताकि दोनों में से किसी को भी अनुचित पूर्वाग्रह न हो"

9. जैसा कि ऊपर बताया गया है, 2020 की रिट याचिका (सिविल) D.No.10983 में एक सामान्य जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें अन्य रिट याचिकाओं में जवाबी

हलफनामा अपनाने की प्रार्थना की गई है। शुरुआत में, जवाबी हलफनामे में यह दलील दी गई है कि भारत संघ द्वारा विवादित अधिसूचनाएं वापस ले ली गई हैं; इसलिए, भारत संघ रिट याचिका पर पैरा-वार उत्तर दाखिल नहीं कर रहा है, बल्कि रिकॉर्ड पर लाने के लिए एक सीमित हलफनामा दाखिल कर रहा है -

i) कानूनी प्राधिकार, सक्षमता जिसके तहत उक्त विवादित निर्देश पारित किया गया था;
ii) उक्त आदेशों, निर्देशों को वापस लेने के पीछे के तथ्य और परिस्थितियां।

10. यदि आवश्यक हो तो भारत संघ ने अगले चरण में विस्तृत पैरा-वार उत्तर दाखिल करने की अनुमति मांगी है।

11. जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2)(एल) के तहत पारित सभी आदेश दिनांक 17.05.2020 के एक आदेश के माध्यम से 18.05.2020 से वापस ले लिए गए हैं। जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को जारी किया गया डीओ दिनांक 20.03.2020 एक सलाह थी और धारा 10 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति द्वारा 29.03.2020 को एक आदेश जारी किया गया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 10 (2)(एल), सभी नियोक्ताओं को निर्देश देता है कि वे अपने कार्यस्थल पर अपने श्रमिकों के वेतन का भुगतान उस अवधि के लिए बिना किसी कटौती के करें जब उनके प्रतिष्ठान लॉकडाउन के दौरान बंद हैं ।

12. कर्मचारियों, विभिन्न कर्मचारी संघों, अर्थात् ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया और कुछ अन्य कर्मचारी संगठनों द्वारा अग्रणी रिट याचिका में हस्तक्षेप के लिए आवेदन दायर किए गए हैं। हस्तक्षेपकर्ताओं ने अपने आवेदनों और शपथपत्रों में दिनांक 29.03.2020 के आदेश का समर्थन किया है। इसमें कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 के तहत केंद्र सरकार को ऐसे निर्देश जारी करने का पूरा अधिकार है.

13. यह आगे कहा गया है कि मजदूरी का अधिकार एक पूर्व-मौजूदा अधिकार है जो अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार के अनुबंध के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 से बहने वाली व्यापक संवैधानिक और वैधानिक योजना और मजदूरी भुगतान अधिनियम, न्यूनतम को शामिल करता है। वेतन अधिनियम , अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 राष्ट्रव्यापी तालाबंदी और परिणामस्वरूप कार्यस्थल बंद होने से कर्मचारी संघ के सदस्यों के भरण-पोषण और आजीविका पर सीधा असर

पड़ा। भारत सरकार द्वारा उठाए गए सभी उपाय इसकी विधायी क्षमता के अंतर्गत हैं। ईएसआईसी फंड का उपयोग करने की याचिकाकर्ता की प्रार्थना खारिज कर दी गई है।

14. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना है। विद्वान अटॉर्नी जनरल, श्री केके वेणुगोपाल, भारत संघ की ओर से उपस्थित हुए हैं। हमने विभिन्न हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को भी सुना है।

15. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि लागू अधिसूचनाएँ मनमानी, अनुचित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(जी) सहित कानून के प्रावधानों के विपरीत हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित अधिसूचनाओं के माध्यम से एक अन्यथा स्थिर और विलायक औद्योगिक प्रतिष्ठान को दिवालियापन और व्यवसाय के नियंत्रण के नुकसान के लिए मजबूर किया जा सकता है।

16. गृह सचिव, गृह मंत्रालय, निजी क्षेत्र पर वित्तीय दायित्व थोपने के लिए धारा 10(2)(एल) या आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की किसी अन्य धारा को लागू नहीं कर सकते। आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 के तहत केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का गठन करने की शक्ति है। इसी प्रकार, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का गठन किया गया है, जिसका उपयोग श्रमिकों के प्रति किसी भी मुआवजे के भुगतान के लिए किया जा सकता है, जिसका दायित्व निजी प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं पर नहीं डाला जा सकता है। प्रतिवादी को नियोक्ताओं को लॉकडाउन अवधि के लिए वेतन का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्मचारियों को समय-समय पर भुगतान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा एकत्र किए गए धन का उपयोग करना चाहिए।

17. कुछ वकीलों ने यह दलील भी दी है कि दिनांक 29.03.2020 का आदेश केवल प्रवासी श्रमिकों के संबंध में जारी किया गया था और आदेश का दायरा प्रतिष्ठान के पूरे कार्यबल को कवर करने के लिए नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा, दिनांक 29.03.2020 का आदेश नियोक्ता के लिए एक निर्देश नहीं था, बल्कि यह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार और अन्य वैधानिक निकायों को आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश है। विवादित आदेशों में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(जी) और अनुच्छेद 300 ए के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है।

18. विद्वान वकील का कहना है कि यदि विवादित आदेश को प्रतिवादी द्वारा बताए गए तरीके से पढ़ा जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि नियोक्ता को न केवल अपने प्रवासी श्रमिकों को बल्कि उनके नियमित श्रमिकों को भी बनाए रखने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए और साथ ही पूर्ण मजदूरी का भुगतान भी करना चाहिए। वह समय जब व्यवसाय प्रभावी रूप से बंद हो जाता है, और कोई आय नहीं होती है। धन की पूर्ण अनुपस्थिति सहित किसी भी कारण से

अनुपालन में विफलता, उन्हें अभियोजन के लिए उत्तरदायी बना देगी। ऐसा आदेश प्रथम दृष्टया मनमाना और अनुचित है।

19. विद्वान वकील ने आगे कहा कि सभी उद्योगों और निजी प्रतिष्ठानों की वित्तीय क्षमता, परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं और सभी प्रतिष्ठानों को लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को वेतन देने का निर्देश जारी करने के लिए एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है और संभवतः किसी भी कार्यकारी द्वारा निर्देशित नहीं किया जा सकता है। कुछ याचिकाकर्ता इस प्रार्थना के साथ आगे आए हैं कि वे उक्त अवधि के दौरान 50 प्रतिशत मजदूरी का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। कुछ विद्वान वकीलों ने यह भी कहा है कि वे लॉकडाउन की अवधि के दौरान मजदूरी के भुगतान के संबंध में अपने श्रमिकों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और कुछ श्रमिक अपने काम में फिर से शामिल हो गए हैं।

20. विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री केके वेणुगोपाल का कहना है कि दिनांक 29.03.2020 को आदेश जारी करने की शक्ति निश्चित रूप से अन्य बातों के साथ-साथ धारा 10(1) में पाई जा सकती है और धारा 10(2) के तहत कुछ भी धारा 10(के दायरे या दायरे को प्रतिबंधित नहीं करता है दिनांक 29.03.2020 का आदेश पूर्णतः आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 के प्रावधानों, योजनाओं के अनुरूप था ।

21. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जनहित में निर्देश दिनांक 29.03.2020 जारी किया गया था। निर्देश न तो मनमाने हैं और न ही सनकी हैं। याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय कठिनाई, अक्षमता का जो आधार पेश किया गया है, वह वैधानिक शक्ति के प्रयोग में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देश को चुनौती देने के लिए कानूनी रूप से अस्थिर आधार है। भारत संघ ने लॉकडाउन अवधि के दौरान कर्मचारियों और श्रमिकों, विशेषकर संविदा और आकस्मिक श्रमिकों की वित्तीय कठिनाई को कम करने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में उपरोक्त निर्देश जारी किया। समाज के निचले तबके, मजदूरों और कर्मचारियों के भीतर वित्तीय संकट को रोकने के लिए प्रतिवादी द्वारा सक्रिय रूप से यह उपाय किया गया था। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश जहां एक आर्थिक और कल्याणकारी उपाय के रूप में परोपकार के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं।

22. श्री वेणुगोपाल ने आगे कहा कि दिनांक 17.05.2020 के आदेश से, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ने 18.05.2020 से अपने पहले लागू निर्देशों को रद्द कर दिया है, इसलिए, यह आदेश केवल 54 दिनों के लिए लागू रहेगा। विवादित अधिसूचनाएं उनके जीवन को प्रभावित कर रही हैं, इसका निर्णय केवल एक अकादमिक अभ्यास की आवश्यकता होगी।

23. हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.03.2020 को जारी आदेशों और अन्य आदेशों और परिणामी निर्देशों का समर्थन किया

है। यह प्रस्तुत किया गया है कि बीमारी के संभावित प्रसार को रोकने के लिए व्यापक जनहित में दिनांक 20.03.2020 और 29.03.2020 के आदेश जारी किए गए थे।

24. यह प्रस्तुत किया गया है कि जब प्राधिकरण ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, तो वह लॉकडाउन के परिणामों के लिए भी उत्तरदायी है। ऐसी स्थिति में, दिनांक 29.03.2020 के आदेश को रद्द कर दिया गया, तो लॉकडाउन आदेश मनमाना होगा और इसे भी रद्द किया जा सकता है। भारत सरकार ने सभी छोटे और मध्यम उद्योगों को वर्तमान वित्तीय स्थिति से निपटने में सक्षम बनाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पेशकश की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मजदूरी के भुगतान के बोझ का सामना कर सकें और व्यवहार्य बने रहें।

25. आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005, एक स्व-निहित संहिता है और किसी अन्य कानून पर निर्भरता नहीं रखी जा सकती है। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 72 के आधार पर , अन्य सभी अधिनियम अधिरोहित हैं। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश श्रमिक के बिना किसी कटौती के अपना वेतन प्राप्त करने के पहले से मौजूद अधिकार को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। उनके कथन के समर्थन में वेतन भुगतान अधिनियम 1936 का भी हवाला दिया गया है।

26. हमने पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

27. यह सच है कि दिनांक 29.03.2020 के आदेश, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2)(एल) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किए गए थे, बाद के आदेश दिनांक 17.05.2020 से 18.05.2020 से वापस ले लिए गए। दिनांक 17.05.2020 के बाद के आदेश का परिणाम यह है कि नियोक्ता पर अपने कार्यस्थल पर अपने श्रमिकों के वेतन का भुगतान बिना किसी कटौती के करने का दायित्व है, उस अवधि के लिए जब उनके प्रतिष्ठान लॉकडाउन के दौरान बंद हैं। . हालाँकि, दिनांक 29.03.2020 के आदेश के अनुसार नियोक्ता के दायित्व के संबंध में मुद्दे का उत्तर अभी भी दिया जाना बाकी है, खासकर जब याचिकाकर्ता आदेश को आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 के दायरे से बाहर और साथ ही अनुच्छेद 14, 19(1)(जी) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती देते हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी प्रार्थना की है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2)(एल) को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(जी) से अधिकारेतर घोषित किया जाए । ऐसी स्थिति में, केंद्र सरकार को निजी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने श्रमिकों के वेतन का भुगतान करने का निर्देश देने का अधिकार प्रदान करने में इसकी व्याख्या की गई है।

28. भारत संघ द्वारा दायर आम हलफनामे में, हालांकि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(1) और धारा 10(2)(एल) के तहत दिनांक 29.03.2020 को आक्षेपित आदेश जारी करने का अधिकार मांगा गया है। लेकिन जवाबी हलफनामे में, दिनांक 29.03.2020 के आदेश पर हमला करने के लिए रिट याचिकाओं में उठाए गए अन्य आधारों का कोई जवाब नहीं है।

29. हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर एक साथ निर्णय लिया जाना चाहिए और टुकड़ों में विचार की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हमारा विचार है कि भारत संघ चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर कर सकता है, जिसके लिए उन्होंने पहले ही सामान्य जवाबी हलफनामे में प्रार्थना की है। जिसका प्रत्युत्तर एक सप्ताह की अवधि के भीतर दाखिल किया जाना है और सभी मामलों को जुलाई, 2020 के अंतिम सप्ताह में फिर से सूचीबद्ध किया जाना है।

30. कुछ रिट याचिकाओं में, इस न्यायालय ने पहले ही नियोक्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश पारित कर दिया था। हमारे दिनांक 04.06.2020 के आदेश में हमने निर्देशित किया है:-

> "इस बीच, दिनांक 29.03.2020 की अधिसूचना के अनुसार नियोक्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।" उपरोक्त आदेश सभी मामलों में जारी रहेगा।

31. हमने पहले ही देखा है कि रिट याचिकाओं में से एक, बी4 एस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में, याचिकाकर्ताओं ने याचिकाकर्ता को पीएफ और ईएसआईसीसी के भुगतान के बिना अपने श्रमिकों/कर्मचारियों को मूल वेतन प्लस डीए का 50 प्रतिशत भुगतान करने की अनुमति देने की प्रार्थना की है। रिट याचिका का अंतिम निपटान लंबित है।

32. रिट याचिकाओं में से एक यानी चैंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा दायर रिट याचिका में मांगी गई प्रार्थनाओं में से एक है "प्रतिवादी को एमएसएमई के हित और कर्मचारियों के हित के बीच संतुलन बनाने का निर्देश देना।"

33. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 के तहत भारत सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन उपायों का नियोक्ताओं के साथ-साथ कर्मचारियों पर भी समान रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उक्त अवधि के दौरान विभिन्न उद्योगों, प्रतिष्ठानों को कार्य करने की अनुमति नहीं थी और जिन्हें कार्य करने की अनुमति दी गई थी वे भी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर सके। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन उपायों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों पर गंभीर परिणाम हुए। अनलॉक की अवधि 01.06.2020 से शुरू हो रही है और उससे पहले भी कुछ

उद्योगों को भारत सरकार द्वारा विभिन्न दिशानिर्देशों द्वारा कार्य करने की अनुमति दी गई थी, अधिकांश उद्योग और प्रतिष्ठान फिर से खुल गए हैं या फिर से खुल रहे हैं, आवश्यकता है पूर्ण कार्यबल.

34. जैसा कि ऊपर बताया गया है, सभी उद्योग/प्रतिष्ठान अलग-अलग प्रकृति के और वित्तीय क्षमता सहित अलग-अलग क्षमता के हैं। कुछ उद्योग और प्रतिष्ठान अपने श्रमिकों और कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि के दौरान वेतन या पर्याप्त वेतन के भुगतान का वित्तीय बोझ उठा सकते हैं। उनमें से कुछ पूरा बोझ उठाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इन दो प्रतिस्पर्धी दावों के बीच संतुलन बनाना होगा। श्रमिक और कर्मचारी हालांकि काम करने के लिए तैयार थे लेकिन उद्योग बंद होने के कारण काम नहीं कर सके और नुकसान उठाना पड़ा। उद्योगों को कार्यबल की भागीदारी से सुचारू रूप से चलाने के लिए यह जरूरी है कि वाया मीडिया का पता लगाया जाए। दिनांक 29.03.2020 को अनिवार्य आदेश जारी किये गये थे जिसे दिनांक 18.05.2020 से वापस ले लिया गया है, इस अवधि में केवल 50 दिन ही वैधानिक दायित्व लगाये गये थे। इस प्रकार, श्रमिकों और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान दिनांक 29.03.2020 के आदेश और अन्य परिणामी अधिसूचना के अनुसार इन 50 दिनों के दौरान किया जाना था।

35. अधिकांश उद्योगों, कारखानों और प्रतिष्ठानों में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व ट्रेड यूनियनों या अन्य कर्मचारी संघों द्वारा किया जाता है। यह सुनिश्चित करना भी राज्य का दायित्व है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान सुचारू रूप से चले और नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाया जा सके।

36. इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि उद्योग और मजदूर दोनों को एक-दूसरे की जरूरत है। कोई भी उद्योग या प्रतिष्ठान कर्मचारियों/श्रमिकों के बिना जीवित नहीं रह सकता और इसके विपरीत भी। इस प्रकार हमारी राय है कि 50 दिनों से अधिक के वेतन के भुगतान के संबंध में श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच मतभेदों और विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए और यदि दिनांकित आदेश की परवाह किए बिना उनके बीच कोई समझौता या बातचीत की जा सकती है। 29.03.2020, उक्त कदमों से सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण बहाल हो सकता है।

37. इस प्रकार हम निम्नलिखित अंतरिम उपायों का निर्देश देते हैं जिनका लाभ सभी निजी प्रतिष्ठानों, उद्योगों, कारखानों और श्रमिक ट्रेड यूनियनों/कर्मचारी संघों आदि द्वारा उठाया जा सकता है, जिन्हें राज्य प्राधिकरणों द्वारा सुविधा प्रदान की जा सकती है: -

i) निजी प्रतिष्ठान, उद्योग, नियोक्ता जो श्रमिकों/कर्मचारियों के साथ 50 दिनों या किसी विशेष राज्य में लागू किसी अन्य अवधि के लिए मजदूरी के भुगतान के संबंध में बातचीत और समझौता करने के इच्छुक हैं, जिसके दौरान उनका

औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद हो गया था। लॉकडाउन करने के लिए, अपने कर्मचारी संगठन के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और उनके साथ समझौता कर सकते हैं और यदि वे स्वयं समझौता करने में असमर्थ हैं तो संबंधित श्रम अधिकारियों को अनुरोध प्रस्तुत करें, जिन्हें विवाद को सुलझाने के लिए अलग-अलग क़ानून के तहत दायित्व सौंपा गया है। उन पक्षों के बीच जो ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर, संबंधित कर्मचारी ट्रेड यूनियन/श्रमिक संघ/कर्मचारियों को बातचीत, सुलह और समझौते के लिए एक तिथि पर उपस्थित होने के लिए बुला सकते हैं। यदि कोई समझौता हो जाता है, तो भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.03.2020 के बावजूद नियोक्ताओं और श्रमिकों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।

ii) वे नियोक्ता प्रतिष्ठान, उद्योग, कारखाने जो लॉकडाउन अवधि के दौरान काम कर रहे थे, हालांकि उनकी क्षमता तक नहीं, वे भी दिशा संख्या (i) में बताए अनुसार कदम उठा सकते हैं।

iii) निजी प्रतिष्ठान, उद्योग, कारखाने उन श्रमिकों/कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति देंगे जो काम करने के इच्छुक हैं, जो 50 दिनों से अधिक के अवैतनिक वेतन के संबंध में श्रमिकों/कर्मचारियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हो सकता है। निजी प्रतिष्ठान, कारखाने जो निर्देश (i) और (ii) के अनुसार कदम उठाते हैं, उन्हें अपने ऐसे कदमों के बारे में श्रमिकों और कर्मचारियों को उनकी प्रतिक्रिया/भागीदारी के लिए प्रचारित और संवाद करना होगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, निपटान, यदि कोई हो, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा जो इन रिट याचिकाओं में निर्णय के लिए लंबित है।

iv) केंद्र सरकार, सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने श्रम मंत्रालय के माध्यम से सभी निजी प्रतिष्ठानों, नियोक्ताओं, कारखानों और श्रमिकों/कर्मचारियों के लाभ के लिए इस आदेश को प्रसारित और प्रचारित करेंगे।

38. यदि हमारे सामने मौजूद प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच कोई समझौता होता है, तो सुनवाई की अगली तारीख तक विवरण देने वाला एक हलफनामा दायर किया जाएगा।

39. सूची जुलाई के अंतिम सप्ताह में।

.....जे।

(अशोक भूषण)
.....जे.
(संजय किशन कौल)
.....जे.
(श्री शाह)
नई दिल्ली, 12 जून 2020
Submitted by
Devrath Singh, Deputy Director, MPSJA